

आदेश

पुलिस हस्तक नियम-778(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर प्रधान लिपिक/लिपिक/अनुचर से प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-05.02.2021 को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित प्रधान लिपिक/लिपिक/अनुचर का स्थानान्तरण, नीचे उनके नाम के सामने कड़िका-7 में अंकित जिला बल/इकाई में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधान लिपिक	समर प्रकाश	बेगूसराय	05.01.1963	बगहा	बेगूसराय
2	लेखोत्तीर्ण लिपिक	अमरनाथ चौधरी	भागलपुर	02.06.1961	कटिहार	भागलपुर
3	प्रधान लिपिक	रामेश्वर प्रसाद	पटना	28.12.1961	सारण	रेल पटना
4	लेखोत्तीर्ण लिपिक	मुरारी राम	दरभंगा	08.01.1962	सीतामढ़ी	दरभंगा
5	लिपिक	नूतन साहुकार	पटना	01.04.1962	वैशाली	पटना
6	प्रधान लिपिक	रामविनय प्रसाद साह	शिवहर	09.04.1962	पु० उ०म०नि०, सै० पु० (उ० म०) मुजफ्फरपुर	सीतामढ़ी
7	लिपिक	सुनिल कुमार सिंह	वैशाली	15.01.1962	रेल जमालपुर	वैशाली
8	अनुचर	योगानंद मंडल	सुपौल	05.06.1962	सीवान	सुपौल

2. निम्न प्रधान लिपिक की सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदन /अनुशंसा के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा इनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विचार नहीं किया गया।

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधान लिपिक	इन्द्रभुषन तिवारी	वैशाली	15.01.1961	बि०सै०पु०-04 डुमराव (बक्सर)	सेवा निवृत्त हो चुके विचारणीय नहीं है।

3. स्थानान्तरण संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे। सभी संबंधित कर्मियों को अविलम्ब विरमित कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

4. उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मियों का यदि पूर्व में अन्यत्र स्थानांतरण हुआ हो तो उन्हें उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल से ही स्थानान्तरित जिला हेतु विरमित किया जाएगा।

4. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उन्हें किसी प्रकार का यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

M 15/2/21
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या- / पी०-5 / 17-01-02-2021 / ...३५.....
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक...17-02-2021

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र, पटना/ दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा/मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय/कोशी क्षेत्र सहरसा/सारण क्षेत्र, छपरा एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस उत्तरी मंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/दरभंगा/भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, वैशाली /सीतामढ़ी/सारण/सिवान/बगहा/कटिहार/सुपौल/बेगूसराय/रेल पुलिस अधीक्षक, पटना/रेल पुलिस अधीक्षक, जमालपुर एवं समादेष्टा बिहार सैन्य पुलिस-04 डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

M 15/2/21
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना